न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, अंकित कुमार सिंह, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–31/2026 — दायर दिनांक :–11.03.2026

जीसीएमएस नं. 2026/31 — फैसल दिनांक :–18.03.2026

राज्य सरकार जरिये, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

प्रार्थी

बनाम

श्री कृष्णकांत पुरोहित, निवासी– पादरडी बडी सागवाडा हाल जयदीप साउथ इंडियन सागवाडा

विपक्षी

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

उपस्थित
1. प्रार्थी की ओर से – विभागीय पेरोकार–प्रवर्तन निरीक्षक
2. विपक्षी की ओर से – विपक्षी स्वय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए (1) (2), आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रमुख शासन सचिव महोदय एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय द्वारा राज्य में घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के व्यवसायिक उपयोग, अवैध रिफिलिंग अवैध भण्डारण और कालाबाजारी जैसी गतिविधियो पर अंकुश लगाने, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना एवं एलपीजी आपूर्ति प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में दो सप्ताह दिनांक 16.02.2026 से 27.02.2026 तक विशेष अभियान के चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त आदेश दिनांक 12.02.2026 की अनुपालना में डूंगरपुर जिले के विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर दिनांक 18.02.2026 को घरेलु गैस सिलेण्डर के उपयोग पर श्री हिमांशु डामोर प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह श्री निलेश खांट प्रवर्तन निरीक्षक की संयुक्त टीम विपक्षी के **प्रतिष्ठान जयदीप साउथ इंडियन सागवाडा** का आकस्मिक निरीक्षण करने पर **विपक्षी के प्रतिष्ठान पर कुल 1 घरेलु एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 2.7 किलोग्राम गैस का उपयोग करते हुए पाया गया।** जो घरेलु गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग एवं एलपीजी गैस कंट्रोल आर्डर 2000 के क्लॉज 3, 4, 7 की अवहैलना करना पाया जाने से संग्रहित 1 **घरेलु एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 2.7 किलोग्राम गैस, मैसर्स सागवाडा गैस सर्विस डूंगरपुर रोड सागवाडा मैनेजर श्री परेश पण्ड्या** को बुलवाकर रूबरू मौतबिरान एवं उपस्थित के समक्ष सिलेण्डर्स के एसआर नंबर, ग्रोस वेट, टेयर वेट एवं गैस सिलेण्डर में संग्रहित गैस का वेयिंग मशीन से तौल करवाकर फर्द तल पट्टी अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगी तैयार की गई एवं 1 **घरेलु एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 2.7 किलोग्राम गैस, मैसर्स सागवाडा गैस सर्विस डूंगरपुर रोड सागवाडा के मैनेजर श्री परेश पण्ड्या** को रूबरू मौतबिरान सुपुर्दगी में दिये जाकर उक्त जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए (1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए धारा–6ए (2) के तहत राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सुनवाई हेतु विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी ने जवाब पेश किया कि विपक्षी के प्रतिष्ठान का दिनांक 18.02.2026 को श्रीमान् प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा औचक निरीक्षण करने पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2.7 किलोग्राम गैस सिलेण्डर पाये गये थे। विपक्षी द्वारा कोमर्शियल गैस सिलेण्डर प्राप्त करने हेतु गैस एजेन्सी सागवाडा में आवेदन कर दिया है लेकिन मुझे गैस सिलेण्डर नही मिल पाने के कारण उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग भुलवंश कर दिया है। आयंदा इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति भविष्य में नही होगी। विपक्षी के लारी/ठेले पर घरेलू गैस टंकी का उपयोग नही किया जाता है विपक्षी का निवास स्थान दूर होने से गैस की टंकी भरवाने के लिए वहा पर रखी हुई थी। विपक्षी द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण के लिए अभी–अभी व्यवसाय शुरू किया गया है मुझ अप्रार्थी को उक्त गैस सिलेण्डर वापस दिलाने का आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

प्रकरण में बहस समायत की गई। प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जब्त शुदा गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु निवेदन किया। विपक्षी द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए गैस सिलेण्डर वापस दिलाने का कथन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं जवाब का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। विपक्षी द्वारा अपने जवाब में किये गये कथन तथ्य मानने योग्य नहीं हैं। अतएव इनका जवाब अमान्य किया जाता है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि विपक्षी के प्रतिष्ठान की जांच में **1 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 2.7 कि.ग्रा. गैस का उपयोग करते हुए पाये गये।** विपक्षी का उक्त कृत्य एलपीजी गैस कंट्रोल आर्डर 2000 के क्लॉज 3, 4, 7 अवहैलना होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी के **प्रतिष्ठान जयदीप साउथ इंडियन सागवाडा** पर संग्रहित **1 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 2.7 कि.ग्रा. गैस** को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6ए (2) के तहत राजसात किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त **1 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 2.7 कि.ग्रा. गैस** का नियमानुसार निस्तारण कर पालना रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)